न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 04/2021

अपीलार्थीगण–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
1. चुतराराम पुत्र पोकरराम 2. सुशिया देवी पत्नी ओमाराम जाति माली निवासी माडपुरा सानी (ढूंढा कवास) तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2020 जो प्रकरण सं. 14/2020 मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम, राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.09.2021

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 14/2020 सरकार बनाम चुतराराम मे पारित निर्णय दिनांक 07.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का कवास द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढूण्ढा के खसरा नम्बर 1016/421 रकबा 02–00 बीघा गैर मुमकीन औषधालय की भूमि में से [illegible] पक्का कमरा, खसरा नम्बर 420 रकबा 01–0[illegible] भूमि में से 00–09 बीघा भूमि पर तारबंदी व चा[illegible] नम्बर 820/4[illegible] रकबा 23–07 बीघा बारानी दोयम भूमि में से 0[illegible]–01 बीघा भूमि पर [illegible]यल

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चुतराराम पुत्र पोकरराम कौम माली सा0 देह द्वारा तारबन्दी कर कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे तथा कोई जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 07.09.2020 के द्वारा 80.00/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 18.01.2021 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना एवं बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह [illegible] सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण का [illegible] पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाडमेर

प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जल्दबाजी में आकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि के लिये धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संस्थित किया गया हैं उस भूमि पर अपीलांट्स पिछले 50–60 वर्षों से काबिज हैं और रहवास करते आ रहे हैं। अपीलांट्स के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि रहवास हेतु ग्राम ढूंढा में मौजूद नहीं हैं। अपीलांट सं. 2 एक विधवा महिला हैं जो अपने छोटे–छोटे 2 बच्चों के साथ उक्त भूमि खसरा नम्बर 1016 / 421 में निवास कर रही हैं तथा इसी खसरा नम्बर 1016 / 421 में गांव की अन्य आबादी के 15–20 लोगों के परिवार भी निवास कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी की ओर से जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं वह छपे–छपाये प्रफॉर्मा में कार्यालय में बैठकर तैयार की गई हैं। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर अपीलांटगण व किसी भी मौतबिरान के रूबरू मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई हैं जिससे प्रथमदृष्ट्या हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट संदेहास्पद प्रतीत होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में खसरा नम्बर 1016 / 421 की भूमि आयुर्वेदिक औषधालय का कथन करते हुए आंवटित होने का कथन किया गया हैं जबकि ग्राम कवास में पूर्व से आयुर्वेदिक औषाधालय का निर्माण ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा नम्बर 880 / 434 में विगत 6–7 साल पूर्व हो रहा हैं। इसलिए यदि उक्त भूमि औषधालय के लिय आवंटित की गई है तो वह गलत तरीके से आवंटित की गई हैं जहां अपीलांटगण एवं अन्य 15–20 लोगों की आबादी बसी हुई हैं। अतः अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया अपीलाधीन आदेश तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट्स को नहीं थी क्योंकि उक्त आदेश एकतरफा पारित किया गया हैं। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की परिस्थितियों के कारण पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं करते हुए सुनवाई स्थगित करना बताया गया था। इसके पश्चात दिनांक 07.09.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा इस आदेश के अनुसरण में अपीलांट्स को 4–5 दिन पूर्व मौके से बेदखल करने हेतु राजस्व अधिकारीगण मौके पर आये, तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस पर दिनांक 13.01.2021 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील को प्रस्तुत करने में सद्‌भाविक रूप से हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 14 / 2020 सरकार बनाम चुतराराम में दिनांक 07.09.2020 को जुर्माना एवं बेदखली का पारित आदेश निरस्त किया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स द्वारा ग्राम ढूण्ढा के खसरा नम्बर 1016 / 421 रकबा 02–00 बीघा गैर मुमकीन औषधालय की भूमि में से 00–06 बीघा पर तारबंदी व पक्का कमरा, खसरा नम्बर 420 रकबा [illegible] बीघा गैर मुमकीन बेरी भूमि में से 00–09 बीघा भूमि पर तारबंदी व [illegible] तथा खसरा नम्बर 820 / 421 रकबा 23–07 बीघा बारानी दोयम भूमि में से 00–01 बीघा भूमि पर गैर सायल चुतराराम पुत्र पोकरराम कौम माली सा0 देह द्वारा तारबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाडमेर

कर कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन प्रकरण सं. 14/2020 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2020 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना एवं सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से प्रकट तथ्यों एवं तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट चुतरााम ने विवादित भूमि पर पुराना 50–60 वर्षों से कब्जा एवं रहवास के साथ–साथ खसरा नम्बर 1016/421 में गांव के 15–20 घरों की आबादी का रहना प्रकट किया हैं किन्तु उक्त रहवास पुराना होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, बल्कि उक्त भूमि ग्राम आबादी के समीप सरकारी भूमि आई हुई हैं जो किमती एवं राजकीय प्रयोजनार्थ आयुर्वेदिक औषधालय को आवंटित हैं। इस भूमि पर अपीलांट के द्वारा तारबंदी कर पक्का कमरा व चारे की टाल इत्यादि चलाना पाये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट चुतरााम के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट चुतरााम की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे किन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट ने अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के कारण उपस्थित नहीं हुए तथा पेशी की जानकारी नहीं थी। जबकि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.09.2020 को पारित हुआ है उससे पहले लॉकडाउन खत्म हो चुका था। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष मुतनजा भूमि पर अपने कब्जे अधीन भूमि पर हक–अधिकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट का कब्जा विधिवत होकर मुतनाजा सरकारी भूमि पर नही हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांट की जानकारी में आने पर अपीलांट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं किन्तु कोई ठोस जवाब एवं प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु संस्थित कार्यवाहियों के प्रत्येक प्रक्रम नाजायज रूप से विलम्बित करने की ही चेष्ठा की गई हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया हैं कि ग्राम कवास में आयुर्वेदिक औषधालय ग्राम आबादी में संचालित हो रहा हैं इसलिये विवादित भूमि का आवंटन गलत हुआ हैं, यह कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि के प्रावधानों के समक्ष कतई क्षम्य एवं सुसंगत प्रतिरक्षण का आधार नही हो सकता हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष अपीलांट विवादित भूमि पर अपने हक–अधिकार का साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा हैं। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान अपीलांट सं. 2 की ओर से अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में प्रस्तुत सिविल अपील व दीवानी विविध प्रकरण सं. 24/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 03.03.2021 की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट सं. 2 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बेदखली आदेश धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित नहीं किया गया हैं और न ही अपीलांट सं. 2 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रही हैं ऐसे में बिना अनुमति के उसकी ओर से अपीलांट के रूप उसे हस्तगत अपील में पक्षकार मान्य किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता हैं। इसके

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:31:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बावजूद भी यदि अपीलांट सं. 2 का मुतनाजा भूमि पर कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसके विपरित राजकीय अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा गैर मुमकीन राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं जो सरकारी कार्यालय हेतु आवंटित है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट चुतराराम को अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना अधिरोपित करने व बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2020 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि सिविल न्यायालय के प्रकरण में प्रभावी आदेश को मद्देनजर रखते हुए अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

10. निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर